न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 229/2013

वादीगण :-	बनाम	प्रतिवादी :-
1. भंवरूराम पुत्र मांगूराम		1. राजस्थान सरकार जरिये
2. पांचाराम पुत्र मांगूराम		तहसीलदार, जैतारण
3. बीरदाराम पुत्र मांगूराम		तहसील-जैतारण (जिला-पाली)
जातियान-मेघवाल, निवासी-पंचपीपल		
(सेवरिया) तह0-जैतारण (जिला-पाली)		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. 1956 तारीख रजू:.29.08.2013

उपस्थित :- 1. श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 14/03/2015

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादी इस आशय का प्रस्तुत किया हैं कि सरहद मौजा-सेवरिया, तहसील-जैतारण में स्थित वादीगण व पेमा वल्द लुम्बा के नाम की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 975/1 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम की आई हुई हैं। नकल जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 की पेश की हैं। उक्त कृषि भूमि में वादीगण 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं तथा 1/2 हिस्सा पेमा पुत्र लुम्बा का हैं, जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं होने से उन्हें इस वाद में पक्षकार नहीं बनाया हैं। उक्त कृषि भूमि वादीगण के पिता मांगूराम को आवंटन हुई, तब तत्कालीन रेवेन्यू एजेन्सी ने वादीगण के पिता मांगूराम का नाम सद्भाविक भूल से भागूराम दर्ज कर दिया गया, जो गलत हैं। जबकि भागूराम के स्थान पर मांगूराम नाम दर्ज किया जाना आवश्यक हैं। मांगूराम की मृत्यु होने पर जो फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1834 दिनांक 05/11/2009 को स्वीकृत हुआ, उसमें भी पटवारी हल्का सेवरिया द्वारा भागू (मांगूराम) वल्द कालू फौत होने पर उनके वारिसान के नाम दर्ज किये गये। जबकि वादीगण के पिता मांगूराम की ग्राम सेवरिया में स्थित अन्य कृषि भूमि खसरा नम्बर 973, 976, 978, 979, 980, 984, 985, 986, 987 की कृषि भूमि में मांगू पुत्र कालु नाम दर्ज हैं, जो सही हैं तथा यही नाम इन्द्राज हैं। इसी प्रकार वादीगण के पहचान-पत्र में भी पिता का नाम मांगू दर्ज हैं तथा राज्य सरकार द्वारा जारी परिवार कार्ड में भी वादीगण के पिता का नाम मांगूराम दर्ज हैं। वादीगण ने अपने पिता की वल्दियत जो खसरा नम्बर 975/1 में भागू इन्द्राज हैं। उसे सही मांगूराम दर्ज करवाने हेतु दिनांक 31/07/2013 को प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण के कार्यालय में गये एवं कहा तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने हेतु कहा। तब वादी ने यह वाद घोषणा / रेकर्ड दुरूस्ती का विरूद्ध प्रतिवादी के पेश

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

किया हैं। भागू नाम दर्ज होने से वादीगण को बैंक से ऋण लेने व अन्य कार्यवाही करने हेतु परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। बिनायवाद दिनांक 31/07/2013 को वादीगण द्वारा प्रतिवादी तहसीलदार, जैतारण के कार्यालय में जाकर अपने पिता का नाम भागू के स्थान पर मांगूराम किये जाने बाबत् निवेदन करने पर मना करने व सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने का कहने पर बमुकाम–सेवरिया, तहसील–जैतारण जिला–पाली में उत्पन्न हुआ हैं। जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किये जाने तथा उक्त विवादित भूमि में वादीगण का वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज नाम भंवरूराम पांचाराम बिरदाराम पि0 भागूराम के स्थान पर भंवरूराम पांचाराम बिरदाराम पि0 मांगूराम दुरूस्त दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार, जैतारण उपस्थित हुए, जिनके द्वारा दिनांक 28/05/2014 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी जबाबदावा पेश करने में विफल रहने से इनकी ओर से जबाबदावा दिनांक 04/12/2015 को बन्द किया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने व्यक्त किया कि प्रस्तुत दस्तावेजात जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068, 2041 से 2044, नामान्तरकरण संख्या 1834 दिनांक 05/11/2009, जमाबन्दी सम्वत् 2065 से 2068 खाता संख्या 425, 340 व 343, परिवार कार्ड संख्या 1029, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव फोटो पहचान–पत्र संख्या RJ/21/159/423243 दिनांक 31/03/95, JVL/1374362 दिनांक 02/11/2003, JVL/1255504 दिनांक 27/12/02 तथा पास बुक संख्या पी–35 संख्या 238 दिनांक 16/06/78 अनुसार वादीगण के पिता का नाम भागू नहीं होकर मांगू होना बखूबी साबित हैं। लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वादीगण भंवरूराम पांचाराम दुर्गाराम पि0 भागूराम में गलत दर्ज नाम के स्थान पर भंवरूराम पांचाराम बिरदाराम पि0 मांगूराम दुरूस्त किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वाद–पत्र मय शपथ–पत्र एवं प्रस्तुत उक्त दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस वकील वादीगण पर गौर कर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों की प्रस्तुत दस्तावेजात से संपुष्टि होती हैं तथा वादीगण के पिता का नाम मांगूराम के स्थान भागूराम गलत दर्ज होना तथा बिरदाराम के स्थान पर दुर्गाराम गलत दर्ज होना बखूबी साबित होता हैं। लिहाजा वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादीगण का सद्भाविक लिपिकीय भूल वश गलत दर्ज नाम भंवरूराम पांचाराम दुर्गाराम पि0 भागूराम के स्थान पर दुरूस्त नाम भंवरूराम पांचाराम बिरदाराम पि0 मांगूराम जरिए शुद्धि–पत्र इन्द्राज करवाया जाना उचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

–:: आदेश ::–

अतः वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री हक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा–सेवरिया, तहसील–जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 975/1 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज वादीगण का नाम भंवरूराम पांचाराम दुर्गाराम पि0 भागूराम के स्थान पर दुरूस्त नाम भंवरूराम पांचाराम बिरदाराम पि0 मांगूराम जरिए शुद्धि–पत्र दर्ज किया जावें। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 हो। डिक्री की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजी जाकर दुरूस्ती की पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 14/03/2015 को सरे ईजलास राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0**

वादीगण :-

1. भंवरूराम पुत्र मांगूराम
2. पांचाराम पुत्र मांगूराम
3. बीरदाराम पुत्र मांगूराम

जातियान-मेघवाल, निवासी-पंचपीपल (सेवरिया) तह0-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादी :-

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जैतारण तहसील-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं रेकर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं 136 LR Act. 1956

मु0न0 :रा0वा0स0:229/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री ओमप्रकाश पंचारिया, अधिवक्ता, वादीगण मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-सेवरिया, तहसील-जैतारण में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 975/1 रकबा 20 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत लिपिकीय त्रुटिवश दर्ज वादीगण का नाम भंवरूराम पांचाराम दुर्गाराम पि0 भागूराम के स्थान पर दुरूस्त नाम भंवरूराम पांचाराम बिरदाराम पि0 मांगूराम जरिए शुद्धि-पत्र दर्ज किया जावें। तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजी जाकर दुरूस्ती की पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज ....-....मुबलिक.....-....बाबत.....-....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें।

बरिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 14/03/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	1	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	9	00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	2	00	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजानः-	14	00	मिजानः-	Nil	

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner